(20)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

मुकदमा नम्बर 203/2015

1. लियाकत अली उम्र 57 वर्ष पुत्र हासम अली खां जाति कायमखानी निवासी ग्राम माखर तहसील व जिला झुंझुनू (राज.)
2. मुराद अली उम्र 43 वर्ष पुत्र हासम अली खां जाति कायमखानी निवासी ग्राम माखर तहसील व जिला झुंझुनू (राज.)

--वादीगण

बनाम

1. शौकत अली उम्र 60 वर्ष पुत्र हासम अली खां जाति कायमखानी निवासी ग्राम माखर तहसील व जिला झुंझुनू (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू (राज.)
3. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू (राज.)

--प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ स्थाई निषेधाज्ञा, खाता विभाजन व बेदखली व रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थित अधिवक्ता :-

श्री राजेश पुनिया, एडवोकेट - वादीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक :-21.03.2018

आज यह पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली आदेश में ली जाकर अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा एक वाद बाबत घोषणार्थ स्थाई निषेधाज्ञा, खाता विभाजन व बेदखली व रिकार्ड दुरूस्ती का दिनांक 09.12.2015 को विरूद्ध प्रतिवादी पेश किया गया कि वाके ग्राम माखर की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 170 रकबा 1.26 हैक्टर जिसके गत खसरा नम्र 270 रकबा 5 बीघा स्थित है जिसे वाद पत्र में विवादित भूमि लिखा गया है। विवादित भूमि वादीगण के कथनो के अनुसार पैतृक भूमि है। वादीगण की वंशावली के अनुसार हासम खां के तीन जायदा पुत्र क्रमशः शौकत अली प्रतिवादी न. 1, लियाकत अली वादी न. 1 व मुराद अली वादी न. 2 हुये है। वादीगण व प्रतिवादीगण न. 1 के पिता का स्वर्गवास होने पर उक्त विवादित भूमि में 1/3, 1/3 हक हिस्सा दर्ज होना चाहिये परन्तु ऐसा न होकर राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती से वादी मुराद का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से रह गया। वादी 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार काबिज काश्त होने की वजह से वादी मुराद को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त विवादित भूमि में वादी लियाकत अली व प्रतिवादी शौकत के हिस्से की भूमि में से प्रत्येक की 0.11 है0, 0.11 है0 कुल 0.22 हैक्टर भूमि वादी मुराद को दिनांक 19.11.2015 को वादी लियाकत अली व प्रतिवादी शौकत अली द्वारा कुल 0.22 हैक्टर भूमि वादी मुराद को जरिये रजिस्ट्रेड विक्रय पत्र के विक्रय की है। जो वादी मुराद खा व प्रतिवादी शौकत खा व वादी लियाकत अली से खरीदी गई भूमि का वादी मुराद अली को अपने 1/3 हिस्से के साथ 0.11 है0, 0.11 है0 कुल 0.22 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। हमने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर समस्त राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। जिससे प्रदर्श पी-1 से पी-14 के अनुसार जमाबंदी सम्वत 2012, 2013 से 2016, 2021 से 2028, 2029 से 2032, 2033 से 2036, 2042 से 2045 में वादीगण व प्रतिवादी न. 1 के पिता स्व. हासम खां के नाम दर्ज रिकार्ड होना सिद्ध है व जमाबंदी सम्वत 2043 में प्रतिवादी न. 1 शौकत व वादी न. 1 लियाकत अली के नाम सयुक्त खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वादी न. 2 मुराद का नाम दर्ज रिकार्ड नही होना जाहिर है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण तीनो भाई होकर स्व. हासम खां के जायदा पुत्र होना व विवादित भूमि पैतृक होना जाहिर है। ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करते हुए वादी न. 2 मुराद अली को भी वादी न. 1 व प्रतिवादी न. 1 के साथ बहिस्सा 1/3, 1/3 किया जाना व प्रतिवादी न. 1 शौकत अली व वादी न. 1 लियाकत अली द्वारा वादी न. 2 मुराद अली को क्रयशुदा भूमि 1/3 हक हिस्से के साथ 0.22 है0 भूमि कुल 0.64 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू (राज.)

Scanned by CamScanner

6

(21)

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि ग्राम माखर तह तहसील झुंझुनू में भूमि हाल खसरा न. 170 रकबा 1.26 हैक्टर में वादीगण व प्रतिवादी न. 1 को निम्न प्रकार से खातेदार काश्तकार घोषत किया जाता है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा न. मय रकबा मे से	घोषित रकबा
1	लियाकत अली वादी न. 1	170 रकबा 1.26 है0 मे से	0.31 है0
2	मुराद अली वादी न. 2	170 रकबा 1.26 है0 मे से	0.64 है0
3	शौकत अली प्रतिवादी न. 1	170 रकबा 1.26 है0 मे से	0.31 है0

तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार पक्षकारानों के घोषित हक हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.3.18

(अलका बिश्नोइ)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू (राज.)

Scanned by CamScanner